

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कमरुद्दीन बनाम शांति लाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 07/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>07/01/22</p> <p>2022 11</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कमरुद्दीन</u></p> <p>पिता श्री <u>अलमीन विजारा</u></p> <p>निवासी- <u>गिण्ड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>3300, 3312</u> <u>1.5200 0.6800</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> कुल रकबा <u>2-2000</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिण्ड</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>3300, 3312</u> <u>1.5200 0.6800</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> रकबा <u>2-2000</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ (<u>सुजाम सुन्दर बिश्नोई</u>) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

मांक / सरिस्ता / प्रा.पत्र 07 / 2024 / 08

दिनांक 10/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : ~~फारूकीन~~ चित्तौड़गढ़ी अल्लादीन विजारा 120 गिलुड
— जर्बा

- वनाम
- 1- शांति लाल चित्तौड़गढ़ी भांगीलाल भीरा 120 गिलुड
 - 2- हुसैन चित्तौड़गढ़ी अल्लादीन जी विजारा 120 गिलुड
 - 3- मुमताज पत्नी अजीज मोहम्मद 120 गिलुड
 - 4- सरफार जीरए तल्लीमदाट चित्तौड़गढ़ी

— चित्तौड़गढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम गिलुड खतौनी सं. 66
संवत् 2067-2070 में अकित आराजी नम्बर 3300, 3312
..... कुल कित 2 रकबा 2.2000 है. भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रुपये 1500=00 अक्षरे एक हजार पंच सौ बत्तर मात्र प्रार्थी
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

1
सिद्धम सुन्दर विजोरी
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपचिट्तौड़गढ़ी
चित्तौड़गढ़ (राज.)